बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अ०स०:–3/अ0प्र0–01–45/2022 642 /पटना, दिनांक :–

श्री शिवेन्द्र नारायण सिंह, तदेन सहायक अभियंता, एन०आर०ई०पी०, सहरसा सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध वर्ष–1993–1994 से 1998–99 तक की अवधियों में विभिन्न विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त अग्रिम रू०–2,96,51,817.55/–(दो करोड़ छियानवे लाख इक्वान हजार आठ सौ सतरह रूपये पच्चपन पैसे) असमायोजित रहने संबंधी मामले में राशि के गबन/दुर्विनियोग के लिये श्री सिंह एवं अन्य के विरूद्ध सहरसा थाना में सहरसा थाना कांड सं0–34/2000 दिनांक 30.01.2000 दर्ज किया गया। साथ ही मामले में पथ निर्माण विभाग के अधिसूचना संख्या–731 दिनांक 29.01.2002 द्वारा श्री सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

2. श्री सिंह के विरूद्ध दर्ज उक्त थाना कांड में विधि विभाग के आदेश संख्या–3247 दिनांक 16.07.2003 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी। साथ ही मामले में पथ निर्माण विभाग द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर संकल्प ज्ञापांक–4716 दिनांक 08.07.2004 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. श्री सिंह के विरूद्ध मामले में दर्ज थाना कांड संख्या– 34/2000 दिनांक 30.01.2000 से उदभूत जी0आर0 केस नं0–115/2000 में दिनांक 10.08.2006 को पारित दंड के विरूद्ध इनके द्वारा Criminal Appeal No.-20/06 दायर किया गया। Criminal Appeal No.-20/06 में दिनांक 23.01.2009 को पारित न्याय निर्णय में श्री सिंह के विरूद्ध थाना कांड में पारित दंड को Set aside करते हुए इन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया।

4. श्री सिंह के निलंबन की लंबी अवधि को देखते हुए पथ निर्माण विभाग के अधिसूचना संख्या–2623–सह–पठित ज्ञापांक–2624 दिनांक 23.02.2010 द्वारा इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त कर दिया गया। साथ ही इनके निलंबन अवधि का विनिश्चय विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर किये जाने का निर्णय लिया गया।

5. पथ निर्माण विभाग के स्तर से संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी (अधीक्षण अभियंता, अनुश्रवण, पथ निर्माण विभाग) के पत्रांक 525 दिनांक 25.01.2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जॉच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष अंकित किया गया कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित अभिलेख आधारित साक्ष्य के आलोक में की गयी Test समीक्षा एवं माननीय न्यायालय द्वारा आरोपित पदाधिकारी के पक्ष में Identical आरोप पर पारित आदेश के आलोक में आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित प्रतीत नहीं होता है।

6. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन पर निर्णय लेने के क्रम में पथ निर्माण विभाग द्वारा मामले में श्री सिंह द्वारा लिये गये अग्रिम एवं इसके समायोजन से संबंधित प्रतिवेदन की मांग जिला पदाधिकारी, सहरसा एवं उप विकास आयुक्त, सहरसा से किया गया। अभियंताओं के संवर्ग विभाजन के उपरान्त श्री सिंह का संवर्ग ग्रामीण कार्य विभाग आवंटित होने के परिप्रेक्ष्य में पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 10559 दिनांक 07.11.2014 द्वारा संबंधित संचिका की छायाप्रति ग्रामीण कार्य विभाग को उपलब्ध कराया गया। संचिका इस विभाग को प्राप्त होने के उपरान्त स्मार पत्रों के बावजूद जिला पदाधिकारी, सहरसा एवं उप विकास आयुक्त, सहरसा के स्तर से उक्त वांछित प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के परिप्रेक्ष्य में समीक्षोपरान्त कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सहरसा को विभागीय

पत्रांक 1202 अनु0 दिनांक 16.05.2023 द्वारा जिला पदाधिकारी, सहरसा/उप विकास आयुक्त, सहरसा से सम्पर्क स्थापित कर श्री सिंह के विरूद्ध अग्रिम एवं इसके समायोजन से संबंधित प्रतिवेदन/अद्यतन स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। साथ ही श्री सिंह के सेवानिवृति के आलोक में इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को आदेश संख्या–1204 दिनांक 16.05.2023 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

7. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सहरसा के पत्रांक 951 अनु0 दिनांक 15.06.2023 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के साथ संलग्न कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, सहरसा के कागजात के आधार पर श्री सिंह के विरूद्ध वर्तमान में रू० 2,88,95,995.00 (दो करोड़ अठासी लाख पंचानवे हजार नौ सौ पंचानवे) असमायोजित पाया गया। उपर्युक्त प्रतिवेदन के आलोक में समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से असहमति व्यक्ति करते हुए विभागीय पत्रांक 1610 अनु0 दिनांक 18.07.2023 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

8. श्री सिंह द्वारा अपने सेवान्त लाभ के भुगतान हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–8185/2023 में दिनांक 29.08.2023 को पारित अंतरिम आदेश जिसे दिनांक 05.09.2023 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा कतिपय संशोधन किया गया, का कार्यकारी अंश निम्नवत है :–

".....4. Considering the aforesaid submission made on behalf of the petitioner, the action taken in withholding entire amount of gratuity is set aside and quashed. The authority concerned may act in accordance with law and is restrained from taking any action against the retired employee.

5. In the present case, petitioner had retired in the year 2015. The proceeding was initiated in the year 2004 and after seven years of retirement of the petitioner, second show cause notice was issued on 18.07.2023 after filing of the present writ petition and nearly after 19 years of the initiation of the disciplinary proceeding which is not in accordance with the provisions of Bihar Pension Rules, particularly Rule 43.

6. The notice contained in Memo No.1610 dated 18.07.2023 being without jurisdiction is set aside and quashed. The Principal Secretary, Rural Works Department, Government of Bihar is directed to take proper legal action against the Special Secretary for having not taken any action in accordance with law and exceeding his jurisdiction in serving notice to the petitioner after delay of nearly seven years from the date of the retirement of the petitioner and nearly 19 years from the date of initiation of the proceeding against the petitioner and the inquiry officer has submitted that no charge is proved against the petitioner.

7. The Principal Secretary, Rural Works Department, Government of Bihar is directed to ensure to make payment of gratuity and other retiral benefits which is still due to the petitioner within a period of three week from the date of communication of this order in accordance with law. The petitioner, if so advised, may file a detailed representation before the Principal Secretary, Rural Works Department, Government of Bihar who is expected to dispose of the representation of the petitioner by making payment of retiral dues in accordance with law within the aforesaid period along with the statutory interest payable to the petitioner. The Principal Secretary, Rural Works Department, Government of Bihar is further directed to report this Court as to what action he has taken in making payment of retiral dues to the petitioner as well as action taken against the concerned authority who has acted without jurisdiction in serving notice to the petitioner after delay of nearly seven years from the date of retirement."

9. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मामले की समग्र समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त Criminal Appeal No.-20/06 में दिनांक 23.01.2009 को पारित न्याय निर्णय एवं CWJC No.-8185/2023 में दिनांक 29.08.2023 एवं दिनांक 05.09.2023 को पारित अंतरिम न्यायादेश के अनुपालन में श्री शिवेन्द्र नारायण सिंह, तदेन सहायक अभियंता, एन०आर०ई०पी०, सहरसा सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमति व्यक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही को यथास्थिति समाप्त करते हुए इन्हें आरोप मुक्त करने तथा इनके निलंबन अवधि को पूर्ण वेतन के साथ विनियमित किये जाने जिसके भुगतान के क्रम में उन्हें पूर्व में भुगतान हुए जीवन निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्ता का समायोजन कर लिये जाने के प्रस्ताव पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

10. अतः उक्त के आलोक में श्री शिवेन्द्र नारायण सिंह, तदेन सहायक अभियंता, एन०आर०ई०पी०, सहरसा सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमति व्यक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही को यथास्थिति समाप्त करते हुए इन्हें आरोप मुक्त किया जाता है। साथ ही इनके निलंबन अवधि को पूर्ण वेतन के साथ विनियमित किया जाता है, जिसके भुगतान के क्रम में उन्हें पूर्व में भुगतान हुए जीवन निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्ता का समायोजन कर लिया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

23/02/24

(डॉ० फातेह फैयाज)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–01–45/2022 643 /पटना, दिनांक :– 27.2.24

प्रतिलिपि:– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सहरसा/मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/24

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–01–45/2022 643 /पटना, दिनांक :– 27-2-24

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जिला पदाधिकारी, सहरसा/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/उप विकास आयुक्त, सहरसा/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, सहरसा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरेराज/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5, ग्रामीण कार्य विभाग एवं श्री शिवेन्द्र नारायण सिंह, तदेन सहायक अभियंता, एन०आर०ई०पी०, सहरसा सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरेराज, पत्राचार का पता :– वार्ड नं0–16, प्रोफेसर कॉलोनी, डाकघर–गंगजला सहरसा, थाना–सहरसा, जिला–सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/24

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–01–45/2022 643 /पटना, दिनांक :– 27-2-24

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को अवलोकनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27/2/24

संयुक्त सचिव